ADG

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SECTION 3, SUB SEC. (i)
Appearing on Page No. : 1940—1942
Dated : 14-9 -2002

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सीमा सड़क विकास बोर्ड)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2002

सा.का.नि. 368.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सड़क संगठन (अपर महानिदेशक सीमा सड़क) भर्ती नियम, 1990 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सड़क संगठन (अपर महानिदेशक सीमा सड़क) भर्ती (संशोधन) नियम, 2002 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमा सड़क संगठन अपर महानिदेशक.—सीमा सड़क भर्ती नियम, 1990 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
अपर महानिदेशक (सीमा सड़क)	01* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा, समूह "क"	22400-525-24500 रु.

योग्यता या चयन-सह-ज्येष्ठता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
5	6	7
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा का ऐसा मुख्य इंजीनियर (सिविल) जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की है (जिसमें से 2 वर्ष की न्यूनतम सेवा किसी सीमा सड़क संगठन परियोजना के भारसाधक मुख्य इंजीनियर के रूप में होगी) ।

12
टिप्पणी : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या 2 वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) : 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव, रक्षा मंत्रालय —सदस्य 3. सचिव, जल भूतल परिवहन मंत्रालय —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. संख्या-बी आर डी बी/01/51/98/जी. ई.-I]

दीपक दास, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 220, तारीख 9-3-1990 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का.नि. सं. ······ द्वारा किए गए ।

(Border Roads Development Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2002

G.S.R. 368.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Border Roads Organisation (Additional Director Generalt Border Roads) Recruitment Rules, 1990 namely :—

1. (i) These rules may be called the Border Roads Organisation (Additional Director General Border Roads) Recruitment (Amendment) Rules, 2002.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For the Schedule to the Border Roads Organisation (Additional Director General Border Roads) Recruitment Rules, 1990, the following Schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Name of the post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection-post
1	2	3	4	5
Additional Director General (Border Roads)	01* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	Border Roads Engineering Service Group 'A'	22400-525-24500	Selection

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible	Educational & other qualification prescribed for direct recruits	Whether Age & Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8	9
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption & percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grade from which promotion/deputation/ absorption to be made
10	11	12
Not applicable	By promotion	Promotion : Chief Engineer (Civil) of Border Roads Engineering Service with 3 years regular service in the grade (Out of which a minimum service of two years shall be as Chief Engineer in charge of a Border Roads Organisation Project). NOTE: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying service.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission's to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for Promotion):— 1. Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman 2. Secretary, Ministry of Defence —Member 3. Secretary Ministry of Road Transport & Highways —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No.-BRDB/01/51/98/GE-I]

DEEPAK DAS, Director

Note : The principal rules, were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 220, dated 9-3-1990.

MGIPRR ND—2780 RT&H/2002—Sec.I—26-9-2002—100.

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II—SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page No. 2406

Dated 9-11-2002

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सीमा सड़क विकास बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2002

सा. का. नि. 467.—भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) तारीख 14 सितंबर, 2002 में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 368 तारीख 03 सितंबर, 2002 के पृष्ठ 2 पर—

(i) पंक्ति 14 में—

"सचिव, जल भूतल परिवहन मंत्रालय" के स्थान पर "सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय" पढ़ें।

(ii) पंक्ति 17 और 18 में—

"और पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का.नि. सं द्वारा किए गए शब्दों का लोप करें"

[सं. एफ. बी आर डी बी/01/51/98-जे ई-1]

दीपक दास, निदेशक

3355 RT&H/2002—100 Copies